रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 534] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1986/अग्रहायण 28, 1908
No. 534] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 19, 1986/AGRAHAYANA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 928(अ) :—निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 56) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा जनवरी, 1987 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस दिन से उक्त अधिनियम की धारा 7 हरियाणा राज्य में लागू होगी ।

[संख्या एफ. 6/5/86-बी.ओ -1]
मन्त्रेश्वर झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 19th December, 1986

NOTIFICATION

S.O. 928(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 (56 of 1968), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 1987 as the date on which section 7 of the said Act shall come into force in the State of Haryana.

[No. F. 6|5|86-BO.I]
MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986